मध्यप्रदेश शासन

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल मध्यप्रदेश

क्रमांक एफ 3-39/2017/26-2 भोपाल, दिनांक 18 /12/2018

प्रति,

संचालक,
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण,
संचालनालय मध्यप्रदेश।

विषय:- मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं मुख्यमंत्री निकाह योजना के क्रियान्वयन के संबंध में।

प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं मुख्यमंत्री निकाह योजना संचालित है। शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार निम्नानुसार संशोधन किये जाते हैं।

1. शासन आदेश क्रमांक आर/2244/26-2/2016/1467 भोपाल दिनांक 9.11.2016 की कण्डिका 3.1 में मुख्य मंत्री कन्या विवाह/निकाह योजनान्तर्गत राशि रूपये 28,000/- से बढ़ाकर राशि रूपये 51,000/- की जाती है। इस राशि मे से सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन हेतु अधिकृत निकायों को रूपये 3,000/- (प्रति कन्या के मान से), सामग्री की कीमत रूपये 5000/- तथा शेष राशि रूपये 43,000/- कन्या के बचत बैंक खाते में जमा कराई जाये।
2 आदिवासी अंचलों में जनजातियों में प्रचलित विवाह प्रथा के अंतर्गत होने वाले विवाह चाहे सामूहिक हो या एकल हो, कन्या विवाह सहायता की राशि दी जाये।
3. शासन द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रमों के अंतर्गत कन्या विवाह/निकाह सहायता की राशि का लाभ प्राप्त करने के लिये आय सीमा का बंधन समाप्त किया जाता है।
4. उपरोक्त के अतिरिक्त पूर्व में समय-समय पर जारी योजना से संबंधित प्रावधान यथावत रहेंगे।

उपरोक्त आदेश जारी दिनांक से प्रभावशील होगा, तथा योजना संशोधन शासन की वेबसाईट पर भी दर्शाई जाये।

(अशोक शाह)
प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन
सामाजिक न्याय एवं
नि:शक्तजन कल्याण विभाग
भोपाल, दिनांक /12/2018

पृ. क्रमांक एफ 3-39/2017/26-2

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, म.प्र. शासन।
2. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, म.प्र. शासन।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण, मध्यप्रदेश।
4. समस्त संभागायुक्त, मध्य प्रदेश।
5 समस्त कलेक्टर, मध्य प्रदेश।
6. समस्त आयुक्त नगर निगम, मध्यप्रदेश।
7 समस्त कार्यपालन अधिकारी, मध्य प्रदेश।
8. समस्त मुख्य नगर पालिका/ नगर परिषद अधिकारी, मध्यप्रदेश।
9. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश।

(अशोक शाह)
प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन
कल्याण विभाग